



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122021-232082  
CG-DL-E-23122021-232082

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4950]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 2021/पौष 2, 1943

No. 4950]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 2021/PAUSA 2, 1943

वित्त मंत्रालय  
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5341(अ).—बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा एक गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया गया है:--

श्री जी. सी. चतुर्वेदी पी-2, प्लॉट नं. सी-58/6, गौरव अधिकारी सोसाइटी अपार्टमेंट, सैक्टर 62, नोएडा यूपी-201309	अध्यक्ष	केंद्र सरकार द्वारा नामित
श्री पी. ए. बालासुब्रमणियन 16, जीवन अक्षय सीएचएसएल, प्लॉट 188, सैक्टर 6, चारकोप, कांदिवली वेस्ट, मुम्बई-400067	सदस्य	केंद्र सरकार द्वारा नामित

श्री के. के. मिश्रा ए-2002, 20वां तल, एवलॉन सीएचएस, हीरानंदानी गार्डेंस, पवई, मुम्बई-400076	सदस्य	केंद्र सरकार द्वारा नामित
श्री राजेश डालमिया ए 1003, रनवाल सिम्फनी, वकोला पाइपलाइन रोड, सांताक्रूज ईस्ट मुम्बई-400055	सदस्य	परिषद द्वारा नामित
सुश्री हेमा मालिनी रामाकृष्णन 101, रेनेसां सूर्या अपार्टमेंट्स, 5वां मेन, वीटीडब्ल्यू 9वां और 11वां क्रॉस, माल्लेश्वरम, बेंगलूरु-560003	सदस्य	परिषद द्वारा नामित

2. उल्लेख किए गए पद अंशकालिक प्रवृत्ति के हैं एवं अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगा। गुणवत्ता समीक्षा के लिए गठित बोर्ड की बैठक की प्रक्रिया, उक्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, पारिश्रमिक और भत्ता, बीमांकक गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (बैठकों की प्रक्रिया तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त एवं भत्ता) नियम, 2008 के अनुसार होंगे।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एम-18013/07/2012-बीमा-I (खण्ड-II)]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Financial Services)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd December, 2021

**S.O. 5341(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government, hereby, constitutes a Quality Review Board, consisting of the following persons, namely :—

Shri G. C. Chaturvedi P-2, Plot No. C-58/6, Gaurav Adhikari Society Apartment, Sector 62, Noida UP-201 309	Chairperson	Nominated by the Central Government
Shri P. A. Balasubramanian 16, Jeevan Akshay CHSL, Plot 188, Sector 6, Charkop, Kandivali west, Mumbai-400 067	Member	Nominated by the Central Government

Shri K. K. Mishra A-2002, 20 <sup>th</sup> Floor, AVALON CHS, Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai-400076	Member	Nominated by the Central Government
Shri Rajesh Dalmia A1003, Runwal Symphony, Vakola Pipelinee Road, Santacruz East Mumbai-400 055	Member	Nominated by the Council
Ms. Hema Malini Ramakrishnan 101, Renaissance Surya Apartments, 5 <sup>th</sup> Main, Btw 9 <sup>th</sup> and 11 <sup>th</sup> Cross, Malleswaram, Bengaluru-560 003	Member	Nominated by the Council

2. Mentioned posts are part-time in nature and tenure of the Chairperson and members shall be three years from the date of assumption of charge, or until further orders, whichever is earlier. The procedure of the meetings of the Quality Review Board and terms and conditions of service of the Chairperson and the Members of the said Board and their remuneration and allowances shall be as per the Actuaries Quality Review Board (Procedure for Meetings and the Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members) Rules, 2008.

3. This notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. M-18013/07/2012-Ins.-I (Volume-II)]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.